

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 09 अक्टूबर, 2024 / 17 अश्विन, 1946 (शक)

संख्या-157

सदस्य की गिरफ्तारी

माननीय सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 01.10.2024 को उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार दिल्ली जोनल ऑफिस, प्रथम तल व द्वितीय तल, सी ब्लॉक, प्रवर्तन भवन, ए.पी.जे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110011 से प्राप्त हुआ है:-

“इस निदेशालय द्वारा पी.एम.एल.ए, 2022 की धारा 3 के तहत 1 ई.सी.आई.आर संख्या डी.एल.जेड.ओ-1 / 35 / 2022 दर्ज की गई थी, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दण्डनीय है, जो सी.बी.आई और / या दिल्ली पुलिस द्वारा निम्न धाराओं के तहत दर्ज निम्नलिखित एफ.आई.आर के आधार पर है:-

क्रम संख्या	एल.ई.ए का नाम	एफ.आई.आर संख्या एवं दिनांक	लागू की गई धारा
1	सीबीआई, एसी-3 नई दिल्ली	एफआईआर संख्या 9(ए) दिनांक 23.11.2016	पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित आई.पी.सी की धारा 120-बी और 13(1)(डी) के अंतर्गत:-
2	दिल्ली पुलिस की एसीबी	एफआईआर संख्या 05 / 2020 दिनांक 28.01.2020	आई.पी.सी अधिनियम, 1860 की धारा 120-बी के साथ पठित पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 07 के अंतर्गत :
3	जमिया नगर पुलिस थाना, दिल्ली पुलिस	एफआईआर संख्या 378 दिनांक 16.09.2022	शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, 54 एवं 59
4	जमिया नगर पुलिस थाना, दिल्ली पुलिस	380 दिनांक 16.09.2022	शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, 54 एवं 59

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि श्री अमानतुल्लाह खान, विधायक, ओखला निर्वाचन क्षेत्र को धन शोधन के अपराध में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, निर्धारित सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के बाद इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 02.09.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

यह भी सूचित किया जाता है कि श्री आमनतुल्लाह खान, माननीय विशेष न्यायालय, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 02.09.2024 और 06.09.2024 के आदेश के अनुसार 09.09.2024 तक प्रवर्तन की हिरासत में रहे। उन्हें उक्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.09.2024 के आदेश के अनुसार 09.09.2024 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ”

रंजीत सिंह
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 09 October, 2024/17 Ashwin, 1946 (Shaka)

No. 157

DETENTION OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that the following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 01.10.2024 from Deputy Director, Directorate of Enforcement, Government of India Delhi Zonal Office, 1st & 2nd Floor, C Block, Pravartan Bhawan, A.P.J. Abdul Kalam Road, New Delhi-110011:-

“An ECIR bearing no DLZO-1/35/2022 was recorded by this Directorate under section 3 of the PMLA, 2002 punishable under section 4 of the said Act on the basis of following FIRs registered by CBI and/or Delhi Police under section

S.No.	Name of the LEA	FIR No. & Date	Section invoked
1	CBI, AC-III, New Delhi	FIR no. 9(A) dated 23.11.2016	120-B of IPC & 13(1) (d) r/w 13(2) of PC Act, 1988: -
2	ACB of Delhi Police	FIR No. 05/2020 dated 28.01.2020	07 of PC Act, 1988 r/w 120B of IPC, 1860:
3	Jamia Nagar P.S, Delhi Police	FIR No. 378 dated 16.09.2022	25, 54 & 59 of Arms Act,1959
4	Jamia Nagar P.S, Delhi Police.	380 dated 16.09.2022	25, 54 & 59 of Arms Act,1959

In this regard, it is intimated that Shri Amanatullah Khan, MLA, Okhla constituency has been arrested by this office on 02.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 after due compliance of all legal provisions as prescribed under the law for his active involvement in the offence of money laundering.

It is further informed that Shri Amanatullah Khan remained in Enforcement Custody till 09.09.2024 as per order dated 02.09.2024 and 06.09.2024 passed by the Hon'ble Special Court Rouse Avenue District Court. He has been sent to judicial Custody on 09.09.2024 as per order dated 09.09.2024 passed by the said Hon'ble Court.”

**Ranjeet Singh
Secretary**